

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 21-11-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 21 Nov, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 2 : Indian Polity / Prelims	अदालतें राष्ट्रपति, राज्यपाल को बेड़े में नहीं डाल सकतीं: सुप्रीम कोर्ट
Page 04 Syllabus : GS 2 : International Relations / Prelims	अजीत डोभाल ने दिल्ली में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की सातवीं बैठक की मेजबानी की
Page 05 Syllabus : GS 2 : Indian Polity / Prelims	चौदह प्रश्न और अदालत की प्रतिक्रियाएँ
Page 06 Syllabus : GS 2 : Social Justice	'कर्मचारियों की कमी के बीच किशोर न्याय बोर्ड में 50 प्रतिशत से अधिक मामले लंबित'
Page 10 Syllabus : GS 3 : Environment	क्या वायु प्रदूषण एक दक्षिण एशियाई संकट है?
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus : GS 3 : Indian Economy	भारत की मत्स्य पालन और जलीय कृषि, इसका आशाजनक मार्ग

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पांच न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से हाल ही में अनुच्छेद 143 के तहत 16वें राष्ट्रपति संदर्भ को संबोधित किया, जिसमें राज्य विधेयकों से संबंधित राष्ट्रपति और राज्यपालों के कार्यों में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे को स्पष्ट किया गया। न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत पर जोर दिया, इस बात की पुष्टि करते हुए कि न तो न्यायपालिका और न ही कोई बाहरी प्राधिकरण इन संवैधानिक पदाधिकारियों के पास लंबित विधेयकों के लिए "एक आकार-फिट-सभी" समयसीमा लागू कर सकता है या "डीमड सहमति" ग्रहण कर सकता है।

Courts cannot fetter President, Governor: SC

'Deemed consent' will usurp the function of the gubernatorial functionaries, court says

Court states that it is against sitting on Bills through 'prolonged and evasive inaction'

Delaying bills would thwart the people's will expressed through legislatures, the court says

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

A five-judge Bench of the Supreme Court on Thursday answered the 16th Presidential Reference the country has witnessed by opining that the judiciary cannot fetter Governors and the President to "one-size-fits-all" time-tables to dispose of State Bills or usurp their functions by assuming "deemed consent" of the proposed laws at the expiry of a court-ordered time frame.

"Such a usurpation of the gubernatorial function of the Governor, and similarly of the President's functions, is antithetical not only to the spirit of the Constitution, but also specifically, the doctrine of separation of powers – which is a part of the basic structure of the Constitution," a Bench of Chief Justice of India B.R. Gavai, Chief Justice-designate Surya Kant, and Justices Vikram Nath, P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar underscored in their answer.

'Evasive inaction'
However, the court clarified that the President and Governors cannot resort to "prolonged and evasive in-

Supreme Court's advisory opinion
Breaking down the court's response to 14 questions raised by the President asking if a constitutional court can impose timelines for Governors and the President to give assent to Bills passed by legislatures

Governor's discretion under Article 200

- May assent to the Bill
- May withhold assent, but must communicate reasons to the State legislature
- May refer the Bill to the President for consideration under Article 201

Judicial limits

- SC cannot impose timelines for assent or create a concept of 'deemed assent' under Article 142

President's role under Article 201

- When a Bill is referred, the President need not seek SC's advisory opinion under Article 143 every time

Governor's accountability

- Governors cannot indefinitely sit on a Bill; if they do, limited judicial review applies
- Courts can direct Governors to decide within a reasonable time frame, but not dictate the outcome



SC counters States' 'disguised plea' argument

NEW DELHI
The Supreme Court on Thursday countered the objection of States ruled by non-BJP parties that the Presidential Reference was an "appeal in disguise". It said an advisory opinion "can overrule, if necessary". It was a thinly veiled "appeal" against the judgment that fixed timelines for Governors and the President to decide on Bills, Tamil Nadu argued. » PAGE 5

of constitutional functionaries and the interplay among State legislatures, Governors, and the President.

"It is an institutional responsibility to tender its opinion on this functional reference sought by the highest constitutional functionary of the country. The court cannot shirk away from its constitutional creases," the Bench said. It clarified that a Governor has actually three options before him under Article 200 – to grant assent to the Bill, reserve it for the consideration of the President, or withhold assent and return the Bill to the State legislature with comments if it is not a Money Bill. A Governor cannot stall a Bill without returning it to the State Assembly along with his reasons for doing so.

"It would be against the principle of federalism and a derogation of the powers of the State legislatures to permit the Governor to withhold a Bill without following the dialogic process..." the Reference Bench advised.

The Bench propounded that the Supreme Court cannot judicially review the merits of the decision taken by the Governor under Article 200. "However, in glaring circumstances of inaction that is prolonged, unexplained, and indefinite, the court can issue a limited mandamus for the Governor to discharge his function within a reasonable time period," it said.

But the restricted review of the Governor's inaction would not entail subjecting him personally to judicial proceedings. The Governor enjoyed absolute immunity from court proceedings under Article 361.

The Bench clarified that the courts had no power to review the merits of Bills.

मुख्य विश्लेषण:

1. शक्तियों का पृथक्करण और संघवाद:
- न्यायालय ने रेखांकित किया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति क्रमशः अनुच्छेद 200 और 111 के तहत आवश्यक संवैधानिक कार्य करते हैं।
 - न्यायपालिका द्वारा एक डीमड अनुमोदन या कठोर समयसीमा लागू करने का कोई भी प्रयास कार्यकारी डोमेन का अतिक्रमण करेगा, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा - संविधान की एक मूल संरचना।
 - संघीय सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला गया: राज्यपाल के कार्यों को राज्य विधानसभाओं की विधायी सर्वोच्चता और संविधान में परिकल्पित संवाद प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।

2. अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियों का दायरा:

- एक राज्यपाल के पास राज्य विधेयक (धन विधेयकों के अलावा) के संबंध में तीन विकल्प होते हैं:
 1. अनुदान सहमति।
 2. विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखिए।
 3. सहमति रोकें और इसे टिप्पणियों के साथ राज्य विधायिका को वापस कर दें।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल बिना कारण बताए किसी विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए नहीं रोक सकते क्योंकि यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ "लंबे समय तक और टालमटोल करने वाली निष्क्रियता" के समान होगा।

3. न्यायिक समीक्षा:

- सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के फैसले के गुण-दोष या विधेयकों की सामग्री की समीक्षा नहीं कर सकता है।
- हालांकि, लंबे समय तक निष्क्रियता के मामलों में जो अस्पष्टीकृत और अनिश्चित है, न्यायालय संवैधानिक कर्तव्यों के समय पर निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए एक सीमित परमादेश जारी कर सकता है।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत पूर्ण छूट प्राप्त है , और न्यायिक हस्तक्षेप उन्हें व्यक्तिगत कार्यवाही के अधीन नहीं कर सकता है।

4. शासन के लिए निहितार्थ:

- यह निर्णय समय पर विधायी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने और संवैधानिक पदाधिकारियों की स्वायत्तता को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाता है।
- यह न्यायिक अधिकार के दुरुपयोग को रोकता है और संवैधानिक पदाधिकारियों को विधेयकों को रोकने से भी हतोत्साहित करता है, इस प्रकार अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त लोगों की इच्छा की रक्षा करता है।
- न्यायालय का निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपालों की परिचालन सीमाओं को भी स्पष्ट करता है, जो राज्यों में सुचारू विधायी-कार्यकारी बातचीत के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

समाप्ति:

सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के मूल सिद्धांतों को मजबूत करता है - शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद और लोकतांत्रिक जवाबदेही - राज्यपाल और राष्ट्रपति के विवेक के दायरे को चित्रित करके। हालांकि न्यायपालिका इन पदाधिकारियों को कठोर समयसीमा या स्वीकृत अनुमोदन के माध्यम से नहीं रोक सकती है, लेकिन यह अनिश्चितकालीन निष्क्रियता को रोकने का अधिकार बरकरार रखती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विधायी इरादे और लोगों के जनादेश को विफल नहीं किया जाता है। यह निर्णय लोकतांत्रिक जवाबदेही के साथ संस्थागत स्वायत्तता को संतुलित करते हुए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, या इसे टिप्पणियों के साथ वापस कर सकता है (धन विधेयकों को छोड़कर)।
2. राज्यपाल किसी विधेयक को विधायिका को वापस किए बिना अनिश्चित काल तक उसकी सहमति रोक सकता है।
3. राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत अदालती कार्यवाही से पूर्ण छूट प्राप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- (A) 1 और 2
- (B) 1 और 3
- (C) 2 और 3
- (D) उपरोक्त सभी

उत्तर : b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: राज्यपालों द्वारा लंबे समय तक और अस्पष्टीकृत निष्क्रियता लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है, लेकिन न्यायिक अतिरेक कार्यकारी स्वायत्तता को खतरे में डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया **16**वें राष्ट्रपति संदर्भ निर्णय के संदर्भ में आलोचनात्मक रूप से जांच करें। **(250 शब्द)**

कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की सातवीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक नई दिल्ली में भारत के NSA, अजीत डोभाल द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, सेशेल्स और मलेशिया के NSA और रक्षा अधिकारियों (अतिथि के रूप में) ने भाग लिया था। सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय समुद्री और सुरक्षा कूटनीति में भारत की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

Ajit Doval hosts seventh meeting of Colombo Security Conclave in Delhi

Kallol Bhattacharjee
NEW DELHI

At the seventh National Security Adviser-level meeting of the Colombo Security Conclave held here on Thursday, the member states focused on five pillars of cooperation that included radicalisation and organised crime.

The member states also agreed to enhance cooperation through training and capacity building.

The meeting, hosted by National Security Adviser Ajit Doval, included a comprehensive review of the security situation in the Indian Ocean Region and called for cooperation under five pillars of cooperation: "maritime safety and security, countering terrorism and radicalisation, combating trafficking and transnational organised crime, cyber security and protection of critical infrastructure and technology and humanitarian assistance and disaster relief," the Ministry of External Affairs said in a statement.

The member states at the event were led by Ibrahim Latheef, National Security Adviser of Maldives, Rahul Rasgotra, National Security Adviser of Mauritius, Air Vice Marshal Samath Thuyacontha (Retd.), Secretary of Ministry of Defence of Sri Lanka, and Dr. Khalilur Rahman, National

Security Adviser of Bangladesh.

Major General Michael Rosette, Chief of Defence Forces of Seychelles Defence Forces, led the delegation from the Seychelles that joined the Colombo Security Conclave as a full member.

The Malaysian team that participated as a guest country for the first time was represented by Badrul

Shah Mohd. Idris, Deputy Director-General of the Malaysian National Security Council.

"The CSC member states also discussed enhancing cooperation under identified pillars, including through training and capacity building. They reiterated their commitment to the vision and objectives of CSC," the MEA said.



National Security Adviser Ajit Doval, with NSAs of other countries, including the Maldives, Mauritius, Sri Lanka and Bangladesh, at a meeting in New Delhi on Thursday. ANI

मुख्य विश्लेषण:

1. सहयोग के उद्देश्य और स्तंभ:

- सीएससी की बैठक में पांच स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया:

1. समुद्री सुरक्षा और संरक्षा - महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है।

2. आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करना - उन खतरों से निपटना जो क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं।
 3. तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला - नशीली दवाओं, हथियारों और मानव तस्करी नेटवर्क को संबोधित करना।
 4. साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा - बढ़ते साइबर खतरों से बचाने के लिए।
 5. मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) - प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के खिलाफ क्षेत्रीय लचीलापन बढ़ाना।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया गया, जो सदस्य देशों के बीच संस्थागत सुदृढ़ीकरण और ज्ञान साझा करने के महत्व को दर्शाता है।

2. सामरिक महत्व:

- हिंद महासागर क्षेत्र भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो संचार और व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों की मेजबानी करता है।
- सीएससी का नेतृत्व करके, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है, जिससे छोटे क्षेत्रीय देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- सेशेल्स को एक पूर्ण सदस्य के रूप में और मलेशिया को अतिथि के रूप में शामिल करना कॉन्क्लेव के बढ़ते दायरे और समावेशिता का संकेत देता है, जिससे क्षेत्रीय रणनीतिक साझेदारी में वृद्धि होती है।

3. क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला में भारत की भूमिका:

- भारत की सीएससी की मेजबानी और सक्रिय जुड़ाव सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) नीति के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- सीएससी जैसी पहलों के माध्यम से, भारत बाह्य क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करने, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों को सामूहिक रूप से संबोधित करने का प्रयास करता है।

समाप्ति:

सातवां कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र में बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, संगठित अपराध, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके, सम्मेलन क्षेत्रीय लचीलापन और परिचालन समन्वय को बढ़ाता है। भारत का सक्रिय नेतृत्व व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा हितों के साथ संरेखित करते हुए एक सुरक्षित, स्थिर और सहकारी हिंद महासागर क्षेत्र की अपनी रणनीतिक दृष्टि को प्रदर्शित करता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों का एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है।
2. इसके सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, साइबर सुरक्षा और मानवीय सहायता शामिल हैं।
3. चीन सीएससी का सदस्य है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

उत्तर: a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने में बहुपक्षीय सुरक्षा ढांचे की भूमिका की व्याख्या कीजिए। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्वलेव जैसे मंच भारत के SAGAR विजन में कैसे योगदान देते हैं? (250 शब्द)

16वें राष्ट्रपति संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय ने अनुच्छेद 200 और 201 से जुड़ी कई संवैधानिक अस्पष्टताओं को स्पष्ट किया है, जो राज्य विधेयकों की सहमति में राज्यपालों और राष्ट्रपति की भूमिका को नियंत्रित करते हैं। यह संदर्भ अदालत के 8 अप्रैल के फैसले की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें तमिलनाडु के 10 विधेयकों को 'डीमड अंगीकार' दी गई थी, जिसमें कार्यकारी विवेक, न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के पृथक्करण के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए थे। न्यायालय ने अब संवैधानिक विकल्पों, सीमाओं और न्यायिक सीमाओं की एक संरचित व्याख्या प्रदान की है।

Fourteen questions and court's responses

The Presidential Reference came after the April 8 judgment of the Supreme Court that granted 'deemed assent' to 10 Tamil Nadu Bills

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

While it is not appropriate for the judiciary to impose timelines on the President and Governors, in glaring circumstances of indefinite inaction, the court can intervene, the Supreme Court said in its advisory to the Presidential Reference. Here are the 14 questions posed by the President and the court's responses:

What are the constitutional options before a Governor when a Bill is presented to him under Article 200 of the Constitution?

To assent, reserve the Bill for the consideration of the President, or withhold assent and return the Bill to the legislature with comments if the Bill is not a Money Bill.

Is the Governor bound by the aid and advice tendered by the Council of Ministers under Article 200?

The Governor enjoys discretion and is not bound by the aid and advice of the Council of Ministers.

Is the exercise of constitutional discretion by the Governor under Article 200 justiciable?

The discharge of the Governor's function under Article 200, is not justiciable. However, in glaring circumstances of indefinite inaction, the court has a limited power to issue a mandamus to the Governor to decide within a reasonable time period.

Is Article 361 an absolute bar to judicial review in relation to the actions of a Governor under Article 200?

Article 361 is an absolute bar on judicial review in relation to personally subjecting the Governor to judicial proceedings.

Can timelines be imposed under Article 200?

It is not appropriate as the Constitution is silent.

Is exercise of constitutional discretion by the President under Article 201 justiciable?

For the same reasoning as held with respect to the Governor, the President's assent too is not justiciable.

Can the President be bound to timelines while exercising power under Article 201?

For the same reasons as indicated in the context of the Governor, the President, too, cannot be bound by judicially prescribed timelines.

Is the President required to seek advice of the Supreme Court whenever a Governor reserves a Bill for assent?

The President is not required to seek SC's advice. Subjective satisfaction of the President is sufficient.

Are decisions of the Governor and President under Article 200 and Article 201 justiciable at a stage anterior into the law coming into force?

The decisions of the Governor and President under Articles 200 and 201 are not justiciable at a stage anterior into the law coming into force. It is impermissible for courts to undertake judicial adjudication over the contents of a Bill before it becomes law.

Can the exercise of constitutional powers and the orders of/by the President/Governor be substituted in any manner under Article 142?

The exercise of constitutional powers and the orders of the President/Governor cannot be substituted in any manner under Article 142 nor does it allow for the concept of 'deemed assent' of Bills.

Is a law made by the State legislature a law in force without the assent of the Governor granted under Article 200 of the Constitution?

There is no question of a law made by a State legislature coming into force without assent of the Governor under Article 200.

In view of the proviso to Article 145(3), is it not mandatory for any Bench of the court to first decide whether a case involves substantial questions of law and has to be referred to a Bench of minimum five judges?

Returns unanswered. Irrelevant to this reference.

Do the powers of the Supreme Court under Article 142 of the Constitution limited to matters of procedural law?

Not possible to answer in a definitive manner. Scope of Article 142 answered as a part of earlier question.

Does the Constitution bar the Supreme Court from resolving Centre-States disputes except by way of a suit under Article 131?

Irrelevant to the functional nature of the reference. Hence, returned unanswered.

मुख्य विश्लेषण

1. अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विकल्प

न्यायालय ने पुष्टि की कि राज्यपाल के पास तीन विकल्प हैं:

- अनुदान स्वीकृति,

- विधेयक को राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखिए,
- विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है) को टिप्पणियों के साथ लौटाइए। विधेयक को वापस किए बिना सहमति को रोकना असंवैधानिक है, क्योंकि यह संवाद विधायी प्रक्रिया को दरकिनार करता है।

2. सहायता और सलाह : न्यायालय ने माना कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेक है, और वह इस विशिष्ट कार्य पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं है। यह राज्यपाल की स्वतंत्र संवैधानिक भूमिका को मजबूत करता है।

3. न्यायिक समीक्षा और राज्यपाल की निष्क्रियता

- राज्यपाल के फैसले की खूबियां न्यायोचित नहीं हैं।
- हालाँकि, यदि राज्यपाल लंबे, अनिश्चित और अस्पष्टीकृत निष्क्रियता में संलग्न है, तो न्यायालय राज्यपाल को उचित समय के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए एक सीमित परमादेश जारी कर सकता है।
- यह लोकतांत्रिक जवाबदेही के साथ संवैधानिक स्वायत्तता को संतुलित करता है।

4. अनुच्छेद 361 के तहत संरक्षण: अनुच्छेद 361 राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से न्यायिक कार्यवाही के अधीन होने से पूर्ण छूट प्रदान करता है। अदालतें निष्क्रियता के प्रभाव की समीक्षा कर सकती हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती हैं।

5. सहमति के लिए समयसीमा: न्यायालय ने न्यायिक रूप से तैयार की गई समयसीमा को लागू करने को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि संविधान चुप है और अदालतें प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को शामिल नहीं कर सकती हैं।

6. अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां

- राष्ट्रपति को राज्यपाल के समान विवेक प्राप्त है।
- उनके फैसले न्यायसंगत नहीं हैं।
- अदालतें राष्ट्रपति पर समयसीमा भी नहीं थोप सकती हैं।
- जब कोई विधेयक सुरक्षित रहता है तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

7. कानून लागू होने से पहले औचित्य

अदालतें समीक्षा नहीं कर सकतीं:

- राज्यपाल या राष्ट्रपति का निर्णय लेने का चरण,
- किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी विषय-वस्तु। यह विधायी प्रक्रिया में समय से पहले न्यायिक हस्तक्षेप को रोकता है।

8. अनुच्छेद 142 और डीम्ड असहमति : न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 का उपयोग निम्नलिखित के लिए नहीं किया जा सकता है:

- राज्यपाल या राष्ट्रपति के संवैधानिक कार्यों को प्रतिस्थापित करें,
- "समझी गई सहमति" की अवधारणा का परिचय दें। यह 8 अप्रैल के फैसले की भावना को उलट देता है और इन कार्यों को न्यायिक प्रतिस्थापन के बाहर मजबूती से रखता है।

9. राज्य के कानून सहमति के बाद ही लागू होते हैं: न्यायालय ने दोहराया कि राज्य के कानून को लागू करने के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है; इसे दरकिनार करने के लिए कोई संवैधानिक तंत्र नहीं है।

10. विविध प्रश्न : कुछ प्रश्न - जैसे कि संविधान पीठ के संदर्भों पर अनुच्छेद 145(3) और केंद्र-राज्य विवादों पर अनुच्छेद 131 - को इस संदर्भ की कार्यात्मक प्रकृति के लिए अप्रासंगिक माना गया और अनुत्तरित लौटाया गया।

समाप्ति

सुप्रीम कोर्ट की राय न्यायिक निरीक्षण और कार्यकारी विवेक के बीच एक सूक्ष्म संतुलन को बरकरार रखती है। कठोर समयसीमा लागू करने या डीमंड सहमति को बढ़ावा देने से इनकार करते हुए, न्यायालय अनिश्चितकालीन निष्क्रियता के खिलाफ हस्तक्षेप को सक्षम करके लोकतांत्रिक जवाबदेही को संरक्षित करता है। यह एडवाइजरी शक्तियों के पृथक्करण को पुष्ट करती है, संवैधानिक पदाधिकारियों की स्वायत्तता का सम्मान करती है और अनुच्छेद 200 और 201 की परिचालन रूपरेखा को स्पष्ट करती है। यह निर्णय संवैधानिक स्पष्टता को मजबूत करता है और न्यायिक अतिरेक को रोकते हुए विधायी प्रक्रिया को प्रक्रियात्मक पक्षाघात से बचाता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 200 के तहत, एक राज्यपाल एक विधेयक की सहमति रोक सकता है और उसे राज्य विधानमंडल को वापस करने की आवश्यकता नहीं है।
2. अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल का निर्णय गुण-दोष के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
3. राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 3
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: अदालतें राज्यपालों और राष्ट्रपति को कठोर समयसीमा के साथ नहीं रोक सकती हैं; फिर भी संवैधानिक निष्क्रियता को विधायी इरादे को हराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 200 और 201 के संदर्भ में विश्लेषण करें। **(150 शब्द)**

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) के एक नए अध्ययन ने भारत के किशोर न्याय मशीनरी, विशेष रूप से किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) के कामकाज में महत्वपूर्ण प्रणालीगत कमियों पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट से पता चलता है कि 31 अक्टूबर, 2023 तक 362 जेजेबी में 55 प्रतिशत से अधिक मामले लंबित हैं, जो मुख्य रूप से कर्मचारियों की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी और डेटा पारदर्शिता की कमी के कारण हैं। ये निष्कर्ष कानून के साथ संघर्ष में बच्चों को प्रभावित करने वाली गहरी प्रशासनिक कमजोरियों को रेखांकित करते हैं।

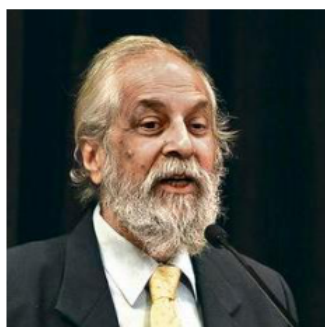
'Over 50% cases pending in Juvenile Justice Boards amid staff shortage'

Bindu Shajan Perappadan
NEW DELHI

More than half (55%) of the cases before 362 Juvenile Justice Boards (JJBs) across the country remained pending as of October 31, 2023, says a first-of-its-kind study by the India Justice Report (IJR) which was released on Thursday.

While 92% of 765 districts in India have constituted JJBs, the authority dealing with children in conflict with law, the pendency rate varies widely, from 83% in Odisha to 35% in Karnataka,

Unlike the National Judicial Data Grid, there is no Central and public repository of information on the JJBs. For the study titled "Juvenile justice and children in conflict with the law: a study of capacity at the frontlines", the IJR filed more than 250 RTI requests and responses from 21 States, revealing that as



It is worrying to find that a quarter of JJBs did not have a full Bench and evidence of a substantial number of staff vacancies in child care institutions.

MADAN B. LOKUR
Former Supreme Court judge

of October 31, 2023, JJBs had only disposed of fewer than half the 1,00,904 cases.

Additionally, vacancies in the juvenile justice system (24% of the JJBs were not fully constituted), and inadequate legal aid (30% JJBs do not have an attached legal services clinic) have led to high workload in crucial functions.

On an average, 154 cases remained pending with each JJB annually. Additionally, inadequate data monitoring and funds have created severe constraints

in the implementation of juvenile justice. According to the 2023 Crime in India data, 40,036 juveniles were apprehended in 31,365 cases under the Indian Penal Code and Special and Local Laws in India.

In a decade since the passing of the Juvenile Justice (Care and Protection) Act, 2015, the study finds that the decentralised architecture meant to deliver child-centric services suffers from systemic gaps, including a lack of inter-agency coordination and

data-sharing. Over 500 responses were received from 28 States and two Union Territories, covering 530 districts. Of these responses, 11% were rejected outright, 24% received no reply, 29% were transferred to districts, and 36% were provided by State nodal authorities, indicating a weak culture of public data transfer and transparency.

Former Supreme Court judge Madan B. Lokur said the report exposed the gaps in our juvenile justice system. "Despite the passage of 10 years since the implementation of the JJ Act, 2015, it is worrying to find that a quarter of JJBs did not have a full Bench and evidence of a substantial number of staff vacancies in child care institutions. This has a detrimental effect on children who fall under its purview," he said, adding that the inadequate data from the RTIs was concerning.

मुख्य विश्लेषण

1. उच्च लंबित और असमान प्रदर्शन

- किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष 1,00,904 मामलों में से आधे से अधिक अनसुलझे हैं।
- लंबित मामले तेजी से भिन्न होते हैं:
 - ओडिशा: 83%
 - कर्नाटक: 35%
- औसतन, प्रत्येक जेजेबी सालाना 154 लंबित मामलों को संभालता है, जो एक महत्वपूर्ण मामले के बोझ को दर्शाता है।

2. संरचनात्मक मुद्दे: कर्मचारियों की कमी और रिक्तियां

- 24% जेजेबी पूरी तरह से गठित नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि कई में अनिवार्य प्रधान मजिस्ट्रेट या सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की कमी है।
- 30% जेजेबी के पास कानूनी सेवा क्लिनिक की कमी है, जो किशोरों को आवश्यक कानूनी सहायता से वंचित करता है।
- बाल देखभाल संस्थानों में रिक्तियां पुनर्वास प्रयासों को और कमजोर करती हैं।

3. पारदर्शिता और डेटा घाटा

- नियमित अदालतों के विपरीत, जेजेबी के लिए कोई राष्ट्रीय डेटा भंडार मौजूद नहीं है।
- आईजेआर को 250 से अधिक आरटीआई दाखिल करनी थीं; अब तक:
 - 11% को अस्वीकार कर दिया गया,
 - 24% को कोई जवाब नहीं मिला,
 - 29% स्थानांतरित कर दिए गए,
 - केवल 36% ने प्रयोग करने योग्य डेटा प्रदान किया।
- यह सूचना-साझाकरण की खराब संस्कृति को दर्शाता है, जो नीति मूल्यांकन में बाधा डालता है।

4. प्रणालीगत और अंतर-एजेंसी अंतराल

- जेजे अधिनियम के 10 वर्षों के बाद भी, सिस्टम निम्नलिखित से ग्रस्त है:
 - पुलिस, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी और चाइल्ड केयर संस्थानों के बीच कमजोर समन्वय,
 - अपर्याप्त फंडिंग,
 - खराब डेटा निगरानी तंत्र।
- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी. लोकुर ने कहा कि इस तरह के अंतराल का "बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है", जो संस्थागत सुधारों की तत्काल आवश्यकता की ओर इशारा करता है।

5. व्यापक संदर्भ

- भारत में अपराध 2023 के अनुसार, 31,365 मामलों में 40,036 किशोरों को पकड़ा गया—जिससे अत्यधिक दबाव वाली प्रणाली पर भारी जिम्मेदारी पड़ी।

- मजबूत जेजेबी के बिना, किशोर न्याय के मूल सिद्धांतों- पुनर्वास, बाल अधिकार और सुधारात्मक न्याय - को वास्तविक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

समाप्ति

आईजेआर के निष्कर्ष भारत के किशोर न्याय वितरण में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करते हैं, विशेष रूप से लंबित पेंडेंसी, कर्मचारियों की कमी और पारदर्शिता विफलताओं के संबंध में। बाल-केंद्रित, विकेंद्रीकृत न्याय प्रणाली बनाने के लिए जेजे अधिनियम, 2015 के इरादे के बावजूद, जमीनी हकीकत महत्वपूर्ण प्रशासनिक और संस्थागत कमजोरियों को प्रकट करती है। कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों के अधिकारों को बनाए रखने और एक विश्वसनीय किशोर न्याय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए जनशक्ति को मजबूत करना, डेटा सिस्टम का निर्माण, समय पर नियुक्तियां सुनिश्चित करना और कानूनी सहायता में सुधार करना आवश्यक है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2024 किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) के कामकाज में गंभीर संरचनात्मक और प्रशासनिक अंतराल का खुलासा करती है। इस संदर्भ में, भारत की किशोर न्याय प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच करें और बाल-केंद्रित न्याय वितरण को मजबूत करने के लिए सुधारों का सुझाव दें। (250 शब्द)

दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण एक देश-विशिष्ट समस्या से एक क्षेत्रीय पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में विकसित हुआ है। 2024 भारत-पाकिस्तान स्मॉग ने दिखाया कि कैसे प्रदूषण राजनीतिक सीमाओं की अनदेखी करता है और साझा भारत-गंगा वायु बेसिन में फैलता है। ग्रीनपीस 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट और विश्व बैंक के 2023 अध्ययन जैसी रिपोर्टों में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की मेजबानी करता है, जो आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन और कमजोर शासन के पैटर्न के साथ एक सीमा पार पारिस्थितिक आपातकाल का संकेत देता है।

Is air pollution a South Asian crisis?

What was the 2024 India-Pakistan Smog? How has air pollution become rampant across the South Asian region? What does the Greenpeace 2023 World Air Quality Report state? How do deteriorating AQI levels affect India economically? What should be the way ahead?

EXPLAINER

Dev Nath Pathak
Vibha Bharadwaj

The story so far:

Delhi is in the spotlight once again for its consistently deteriorating AQI levels. And like every year there has only been a knee-jerk reaction to the problem, rather than a sustainable solution. The Commission for Air Quality Management has gradually switched from stage 1 and 2 to stage 3 of the Graded Response Action Plan, and advisories have been issued for citizens who battle serious health risks. However, there is a dire need to understand the collusion of natural and man-made reasons for air pollution, for Delhi's air pollution crisis goes beyond India's sovereign borders.

What is happening in South Asia?

In November 2024, eastern and northern Pakistan and north India faced a severe pollution event that came to be known as the '2024 India-Pakistan Smog'. Lahore and Delhi virtually competed on the scale of the most polluted city with the highest AQI reading globally. 'Brown clouds' formed in swathes over the cities distinctly visible in satellite images. While Lahore was faced with the worst AQI, Delhi's air gradually deteriorated due to a shift in wind patterns that carried pollutants across borders and within the region. Now in 2025, Delhi is once again followed by Lahore. *The Dawn* from Karachi reported that local pollution and smoke drifted in from India due to low-speed winds.

Bangladesh also has a significant share in the air pollution crisis. Dhaka is witnessing worsening AQI in the range from moderate to very poor during the winter season, as reported by the U.S. thinktank Atlantic Council. Likewise in the capital of Nepal, AQI remains alarmingly high every year, between moderate and unhealthy.



Not the only ones: Commuters ride along a road amid dense smog in Lahore on October 30. AFP

What are the reasons?

The Greenpeace 2023 World Air Quality Report underlined that poor air quality in South Asia is due to anthropogenic sources such as industrial and vehicular emissions, and burning of solid fuel and wastages. The shared air pollution across the Indo-Gangetic Plain and beyond, with tier-1 cities facing the consequences, can be accounted by factors such as the fixed topography of the region. Although separated by cartography, the regional topography of South Asia causes fixed ventilation of natural air and dispersal of pollutants. A trans-national and regional haze surfaces due to the complex composition of air particulates. Alongside the natural geography, there is a transnational and regional commonality – the failure in managing such crises due to abysmal political will.

The World Bank report on 'Air Pollution and Public Health in South Asia' in 2023 informed that nine out of the world's 10 cities with the worst air pollution are in South Asia. Sri Lanka, Maldives and Bhutan are known to be relatively less affected by transregional air pollution in the region of South Asia. This interplay of factors shows that mitigation requires attention to not only short-term solutions but also long-term strategies that focus on strong decarbonisation measures and structural reforms in agricultural practices and industry emissions across national borders.

Is this a crisis of development?

Air pollution is related to larger issues of development and its adverse consequences for the environment. A World Bank study estimates that high AQI

levels in India results in about 3% of its GDP being spent on healthcare and lost labour capital. *The Lancet* Health Journal highlighted that in 2019 India's GDP reduced by 1.36% due to premature morbidity and mortality as a result of air pollution. A steep rise in the sale of automobile vehicles, lack of public transport, negligible support for non-vehicular mobility, and building concrete structures at the expense of urban greenery are some of the reasons which lead to deteriorating air quality. A 2023 UNEP report shows how current patterns of consumption and production are driving climate change, which in turn drives the air pollution crisis. Thus, the World Health Organization (WHO) accurately recognises that air quality significantly affects life expectancy, public health, economic productivity, and environmental justice. These sordid AQI figures are the result of poorly thought-out development. The consequences are visible not only in north India. Experts warn of worsening air in Mumbai and other cities on the southeast coast.

What next?

A more nuanced model of governance with strong political will to curb the sources of the crisis; a caring human development model addressing the needs of the working class and farmers; and a more regionally informed model are some of the imperatives needed to find sustainable solutions.

A recent study by IIT Bhubaneswar highlighted the importance of a broader regional airshed scale management strategy to tackle air pollution, rather than merely addressing the issue in piecemeal.

Only with stronger policies that involve varied stakeholders from across borders and states, can one evolve a meteorological mindset to uproot the sources of air pollution.

Dev Nath Pathak is associate dean, faculty of social sciences at South Asian University. Vibha Bharadwaj is a research scholar at Christ University, Bangalore.

THE GIST

▼ In November 2024, eastern and northern Pakistan and north India faced a severe pollution event that came to be known as the '2024 India-Pakistan Smog'.

▼ The Greenpeace 2023 World Air Quality Report underlined that poor air quality in South Asia is due to anthropogenic sources such as industrial and vehicular emissions, and burning of solid fuel and wastages.

▼ The *Lancet* Health Journal highlighted that in 2019 India's GDP reduced by 1.36% due to premature morbidity and mortality as a result of air pollution.

मुख्य विश्लेषण

1. 2024 भारत-पाकिस्तान स्मॉग क्या था?

- नवंबर 2024 में, पूर्वी और उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर भारत ने एक तीव्र स्मॉग एपिसोड का अनुभव किया।
- लाहौर और दिल्ली अक्सर खतरनाक वायु गुणवत्ता स्तर दर्ज करते हुए वैश्विक एक्वआई चार्ट में शीर्ष पर रहे हैं।

- उपग्रह से ली गई तस्वीरों में गंगा के मैदानी इलाकों में 'भूरे बादल' फैले हुए दिखाई दे रहे हैं।
- सर्दियों में हवा के बदलते पैटर्न ने प्रदूषकों को सीमाओं के पार ले जाया, जिससे दिल्ली की हवा खराब हो गई, जबकि भारतीय क्षेत्रों से धुआं पाकिस्तान में चला गया।
- 2025 तक, दिल्ली और लाहौर दोनों एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक हैं।

2. पूरे दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण कैसे बढ़ गया है?

प्राकृतिक + मानवजनित कारण अभिसरण

- साझा भारत-गंगा स्थलाकृति कम वेंटिलेशन के कारण हवा को रोकती है।
- मानवजनित उत्सर्जन:
 - औद्योगिक और वाहन प्रदूषण
 - ठोस ईंधन जलना
 - कृषि अवशेष जलाना
 - नगरपालिका कचरा जलाना

हवाई क्षेत्र की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी

- निश्चित भूगोल एक सामान्य एयरशेड बनाता है, जहां प्रदूषक नेपाल, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में स्वतंत्र रूप से यात्रा करते हैं।
- कमजोर या असंगत राजनीतिक कार्रवाई और अल्पकालिक उपाय (जैसे, मौसमी प्रतिबंध) संकट को और खराब करते हैं।

क्षेत्रीय पैटर्न

- बांग्लादेश: ढाका का शीतकालीन एक्यूआई नियमित रूप से अस्वास्थ्यकर से बहुत अस्वास्थ्यकर तक पहुंचता है।
- नेपाल: काठमांडू में हर सर्दियों में खतरनाक एक्यूआई दर्ज किया जाता है।
- भारत-पाकिस्तान: दिल्ली और लाहौर दुनिया के सबसे खराब शहरों में शीर्ष स्थान पर हैं।

केवल श्रीलंका, मालदीव, भूटान अपेक्षाकृत अप्रभावित हैं।

3. ग्रीनपीस 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

- दक्षिण एशिया में वैश्विक स्तर पर सबसे खराब वायु गुणवत्ता है।
- दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से नौ दक्षिण एशिया में हैं।
- प्राथमिक स्रोत:

- वाहनों
- उद्योगों
- निर्माण धूल
- ठोस ईंधन दहन
- खुले में कचरा जलाना

- शीतकालीन उलटा + भूगोल + मानव निर्मित उत्सर्जन → क्षेत्रीय धुंध जो सीमाओं के पार यात्रा करता है।

4. बिगड़ता एक्यूआई स्तर भारत को आर्थिक रूप से कैसे प्रभावित करता है?

वायु प्रदूषण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है; यह एक विकासात्मक और आर्थिक मुद्दा है।

आर्थिक प्रभाव

- विश्व बैंक (2023): भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3% स्वास्थ्य लागत + उच्च AQI के कारण श्रम उत्पादकता में कमी पर खर्च किया जाता है।
- लैंसेट (2019): समय से पहले मृत्यु दर और प्रदूषण से जुड़ी रुग्णता के कारण भारत की जीडीपी में 1.36% की गिरावट आई।
- मानव पूंजी का नुकसान: सांस की बीमारी, हृदय रोग, कम जीवन प्रत्याशा।
- शहरी उत्पादकता हानि: अनुपस्थिति, संज्ञानात्मक प्रदर्शन में कमी।
- क्षेत्रीय प्रभाव:
 - पर्यटन में गिरावट
 - उच्च बीमा/स्वास्थ्य लागत
 - प्रदूषित शहरों में विदेशी निवेश पर प्रभाव
- बढ़ते वाहन स्वामित्व, कमजोर सार्वजनिक परिवहन और तेजी से लेकिन खराब नियोजित शहरीकरण से दीर्घकालिक लागत बढ़ती है।

5. आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? (मुख्य उत्तरों के लिए)

A. शासन सुधार

- मौसमी आपातकालीन प्रतिक्रियाओं से परे मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति।
- शहर-वार या राज्य-वार विखंडन के बजाय एयरशेड-स्तरीय प्रबंधन (जैसा कि आईआईटी भुवनेश्वर द्वारा सुझाया गया है) को लागू करें।

- भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के लिए एकीकृत क्षेत्रीय निगरानी नेटवर्क।

बी। सीमा पार पर्यावरण सहयोग

- लंबी दूरी के सीमा पार वायु प्रदूषण पर यूएनईसीई कन्वेंशन के समान एक दक्षिण एशियाई स्वच्छ वायु समझौता स्थापित करना।
- संयुक्त प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, उत्सर्जन सूची और समन्वित फसल-अवशेष प्रबंधन।

सी. घरेलू सुधार

- उद्योगों का डीकार्बोनाइजेशन।
- वाहनों के लिए मजबूत उत्सर्जन मानक।
- सार्वजनिक परिवहन और गैर-मोटर चालित गतिशीलता का विस्तार।
- शहरी नियोजन सुधार: हरित स्थान, धूल नियंत्रण, निर्माण विनियमन।

डी. कृषि और ग्रामीण सुधार

- किसानों के लिए प्रोत्साहन:
 - इन-सीटू अवशेष प्रबंधन
 - बायोमास-आधारित बिजली संयंत्र
 - वैकल्पिक फसल पैटर्न

ई. जलवायु और उपभोग संरेखण

- जलवायु लक्ष्यों के साथ खपत/उत्पादन पैटर्न को संरेखित करना (यूएनईपी 2023)।
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और ठोस ईंधन पर निर्भरता कम करना।

समाप्ति

दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके एक क्षेत्रीय मानवीय, विकासात्मक और पारिस्थितिक संकट बन गया है। 2024 भारत-पाकिस्तान स्मॉग दर्शाता है कि कैसे एक देश में स्थानीय कार्रवाइयां दूसरे देश में खतरनाक परिस्थितियों को ट्रिगर कर सकती हैं। भारत-गंगा के मैदान के एक साझा हवाई क्षेत्र के रूप में कार्य करने के साथ, अलग-थलग राष्ट्रीय रणनीतियां सफल नहीं हो सकती हैं। दक्षिण एशिया में स्वच्छ हवा, मानव स्वास्थ्य और सतत विकास को सुरक्षित करने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता, परिवहन, कृषि, उद्योग और सीमा पार सहयोग में संरचनात्मक सुधारों द्वारा समर्थित एक समन्वित क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 2024 भारत-पाकिस्तान स्मॉग मुख्य रूप से स्थानीय प्रदूषण और हवा के पैटर्न के कारण प्रदूषकों की सीमा पार आवाजाही के संयोजन के कारण हुआ था।
2. ग्रीनपीस 2023 रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशियाई स्थलाकृति जैसे प्राकृतिक कारक भी प्रदूषकों के वेंटिलेशन को प्रतिबंधित करने में भूमिका निभाते हैं।
3. विश्व बैंक की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में दुनिया के दस सबसे प्रदूषित शहरों में से नौ हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर : d)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में बिगड़ता एक् यूआई स्तर भारी आर्थिक लागत डालता है। वायु प्रदूषण के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करें और एक स्थायी और क्षेत्रीय रूप से समन्वित वायु-गुणवत्ता शासन प्रणाली बनाने के लिए एक रोडमैप सुझाएं। **(150 शब्द)**

India's fisheries and aquaculture, its promising course

Fisheries and aquaculture are among India's fastest-growing food-producing sectors, playing a vital role in livelihoods, nutrition, and trade. Over the decades, India has witnessed remarkable growth in aquatic food production that is driven by technological innovation, institutional support and proactive policy measures. Yet, the sector faces critical challenges. Overfishing, habitat degradation, water pollution and climate change are straining aquatic ecosystems. Small-scale fishers and farmers often lack access to finance, technology and markets, while poor traceability and inadequate post-harvest measures limit tapping of the best export and domestic market potential and compromise food security.

On World Fisheries Day 2025 (November 21), the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) calls for a renewed commitment to India's Blue Revolution and supports the Government of India's theme this year, which is "India's Blue Transformation: Strengthening Value Addition in Seafood Exports".

India's growth in fisheries and aquaculture
According to the FAO State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2024, global capture fisheries produced 92.3 million tonnes in 2022, while aquaculture reached a record 130.9 million tonnes, valued at \$313 billion. India contributed 10.23 million tonnes of aquatic animals, making it the world's second-largest aquaculture producer.

India's aquatic food production, encompassing capture fisheries and aquaculture, has risen from 2.44 million tonnes in the 1980s to 17.54 million tonnes in 2022-23. Aquaculture has emerged as one of the key driver of this growth, reflecting sectoral modernisation through advanced technologies, infrastructure and institutional support.

Agencies such as the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) fisheries institutes, Marine Products Export Development Authority, and National Fisheries Development Board have promoted innovation and best practices, while the Coastal Aquaculture Authority has regulated coastal aquaculture activities to ensure



Takayuki Hagiwara
is the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Representative in India and part of Team UN in India

The FAO is committed to guiding India's Blue Revolution toward a resilient and inclusive future

environmental compliance. The private sector has expanded investments from hatcheries to exports, reinforcing value chain efficiency.

The past decade has ushered in a new phase of transformation, beginning with India's Blue Revolution initiative and advancing under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY). These programmes have driven production growth, particularly in inland and brackish water aquaculture, while improving safety, regulation, and resilience in fisheries.

Key reforms include vessel transponders for fisher safety, digital and credit inclusion through the Kisan Credit Card, and the establishment of Matsya Seva Kendras for integrated support. The Climate-Resilient Coastal Fishermen Villages Programme and the draft National Fisheries Policy 2020 are positive developments.

The FAO's support across India
The FAO has been a long-standing partner in India's fisheries and aquaculture journey, supporting the country's transition toward sustainability and resilience. The FAO's decades of collaboration with India have shaped policy, strengthened institutions, and advanced innovation in the sector.

The FAO's collaboration with India began with the Bay of Bengal Programme (BOBP), one of FAO's earliest regional small-scale fisheries initiatives. The FAO, through BOBP, has supported the Government of India in improving small-scale fishing technologies, strengthening sea safety, and enhancing post-harvest management.

The FAO's Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME) project strengthened India's efforts to balance fisheries and conservation, supporting the Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM), and National Plans of Action to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, a major threat to marine ecosystems and sustainable fisheries, conserve endangered species and sustain small-scale fisheries.

To support India's rapid strides in the field of aquaculture, the FAO is supporting a Global Environment Facility (GEF)-funded project in

Andhra Pradesh on "Transforming Aquaculture to a Sustainable, Reduced Footprint and Climate-Resilient Food System", guided by Guidelines for Sustainable Aquaculture (GSA) and Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA) principles. The project aims to support the Department of Fisheries, Government of Andhra Pradesh, in promoting climate-resilient, sustainable aquaculture, benefiting the State and serving as a model for India to take forward the government's Blue Revolution.

As part of the aquatic value chain, strengthening of fishing ports and fishing harbours is also one of the main thrust areas of the Government of India. A Technical Cooperation Programme (TCP) of the FAO intends to assist the Government of India to strengthen the technical capacities of fishing ports to address main environmental, social and economic challenges that affect the aquatic value chain. Two pilot fishing ports, specifically Vanakbarra (Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Diu without legislation) and Jakhau in Gujarat, will benefit from this TCP that will provide them with specific strategic and operational tools to identify and formulate investments projects, whose implementation would address main challenges.

Focus on sustainability
India's fisheries and aquaculture sectors are on a promising trajectory. Yet, sustainability must remain central. Managing fishing efforts through science-based stock assessments, promoting co-managed Monitoring Control and Surveillance (MCS) to curb IUU fishing, following Guidelines for Sustainable Aquaculture and embedding ecosystem-based approaches are key priorities. Strengthening certification, traceability, and digital tools – while ensuring inclusivity for smallholders – will enhance competitiveness in domestic and global markets.

The FAO remains committed to supporting India's journey toward sustainable aquatic food systems, ensuring food and nutritional security, and reducing environmental and climate footprints, guiding India's Blue Revolution toward a resilient and inclusive future.

GS. Paper 3 भारतीय अर्थव्यवस्था

UPSC Mains Practice Question : सबसे तेजी से बढ़ते खाद्य-उत्पादक क्षेत्रों में से एक होने के बावजूद, भारत की मत्स्य पालन और जलीय कृषि प्रणाली को गंभीर स्थिरता और शासन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत के 'ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन' मार्ग में अवसरों और बाधाओं की आलोचनात्मक जांच करें। (250 शब्द)

संदर्भ:

भारत का मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र खाद्य अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ते घटकों में से एक के रूप में उभरा है, जो आजीविका, निर्यात आय, पोषण और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विश्व मत्स्य दिवस 2025 पर, एफएओ ने भारत के "ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन" पर जोर दिया, यह देखते हुए कि देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन इस क्षेत्र को अभी भी स्थिरता, आजीविका और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो तत्काल नीतिगत ध्यान देने की मांग करते हैं।

मुख्य विश्लेषण

1. भारत का मजबूत विकास पथ

- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है, जो 10.23 मिलियन टन जलीय जानवरों का योगदान देता है।
- कुल जलीय खाद्य उत्पादन 2.44 मिलियन टन (1980 के दशक) से बढ़कर 17.54 मिलियन टन (2022-23) हो गया।
- विकास द्वारा संचालित होता है:
 - आधुनिक प्रौद्योगिकियां (बीज उत्पादन, चारा, रोग प्रबंधन)
 - बुनियादी ढांचे का विस्तार (हैचरी, कोल्ड चेन)
 - संस्थागत सहायता (आईसीएआर मत्स्य पालन संस्थान, एमपीईडीए, एनएफडीबी)
 - मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र का निवेश

2. नीति पुश: पीएमएमएसवाई के लिए नीली क्रांति

पिछले दशक में ऐसे सुधार देखे गए जिन्होंने मत्स्य पालन शासन को आधुनिक बनाया:

- नीली क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) ने अंतर्देशीय और खारे पानी की जलीय कृषि को मजबूत किया।
- **प्रमुख सुधार:**
 - सुरक्षा के लिए पोत ट्रांसपोर्ट
 - मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड
 - एकीकृत सेवाओं के लिए मत्स्य सेवा केंद्र
 - जलवायु-लचीला तटीय मछुआरा ग्राम कार्यक्रम
 - राष्ट्रीय मत्स्य नीति 2020 का मसौदा

इन पहलों का उद्देश्य सुरक्षा, विनियमन, उत्पादकता और स्थिरता में सुधार करना है।

3. चुनौतियां: स्थिरता और समावेशिता अंतराल

विकास के बावजूद, इस क्षेत्र को बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है:

- पर्यावरणीय तनाव: अत्यधिक मछली पकड़ना, निवास स्थान का नुकसान, जल प्रदूषण, तटीय क्षरण।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: गर्म समुद्र, चक्रवात, मछली स्टॉक पैटर्न बदलना।
- आजीविका कमजोरियां: छोटे पैमाने के मछुआरों के पास वित्त, प्रौद्योगिकी, कोल्ड स्टोरेज और बाजार संबंधों की कमी है।
- कम पता लगाने की क्षमता और खराब फसल कटाई के बाद की प्रणालियां निर्यात और खाद्य सुरक्षा को सीमित करती हैं।
- IUU मछली पकड़ना (अवैध, असूचित, अनियमित) एक प्रमुख शासन चुनौती बनी हुई है।

इन संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित किए बिना, भारत दीर्घकालिक स्थिरता को कमजोर करने का जोखिम उठाता है।

4. भारत को एफएओ का लंबे समय से समर्थन

एफएओ ने प्रमुख पहलों के माध्यम से भारत का समर्थन किया है:

- बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम (बीओबीपी): छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन, सुरक्षा, कटाई के बाद की प्रथाएं।
- BOBLME परियोजना:
 - मत्स्य पालन प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण (ईएफएम)
 - आईयू मछली पकड़ने के खिलाफ राष्ट्रीय कार्य योजना
 - लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण
- आंध्र प्रदेश में जीईएफ समर्थित जलीय कृषि परियोजना: एफएओ स्थिरता दिशानिर्देशों के आधार पर जलवायु-लचीली, कम-पदचिह्न जलीय कृषि।
- मछली पकड़ने के बंदरगाह प्रबंधन में सुधार के लिए तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (टीसीपी) निम्नलिखित में हैं:
 - वणकबरा (दादरा और नगर हवेली और दीव)
 - जखाऊ (गुजरात)

इनका उद्देश्य मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना है।

5. आगे का रास्ता: एक स्थिरता-संचालित नीला परिवर्तन

एफएओ ने भारत के लिए कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की:

- मछली पकड़ने के प्रयास को विनियमित करने के लिए विज्ञान आधारित स्टॉक मूल्यांकन।
- आईयू मछली पकड़ने को रोकने के लिए मॉनीटरिंग, नियंत्रण और निगरानी (एमसीएस) को सुदृढ़ करना।
- एफएओ के वैश्विक स्थिरता दिशानिर्देशों का पालन करते हुए इकोसिस्टम-आधारित जलीय कृषि।
- वैश्विक बाजार मानकों को पूरा करने के लिए बेहतर पता लगाने की क्षमता और प्रमाणन।
- मूल्य-श्रृंखला दक्षता के लिए डिजिटल उपकरण।
- आधुनिकीकरण के प्रयासों में छोटे और छोटे पैमाने पर मछुआरों को शामिल करना सुनिश्चित करना।

सतत मत्स्य पालन भारत की खाद्य सुरक्षा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और जलवायु लचीलापन के केंद्र में है।

समाप्ति

भारत का मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र एक परिवर्तनकारी क्षण में खड़ा है। उत्पादन और नीतिगत समर्थन में महत्वपूर्ण विस्तार ने भारत को एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। हालांकि, इस गति को बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय दबाव, आजीविका की कमजोरियों और शासन अंतराल को संबोधित किया जाना चाहिए। एफएओ की निरंतर साझेदारी, विज्ञान-संचालित प्रबंधन और पता लगाने की क्षमता और लचीलेपन पर जोर देने के साथ, भारत का "ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन" विकासशील दुनिया के लिए सतत और समावेशी विकास का एक मॉडल बन सकता है।